न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
33 / 2022	2022 / 76	23.03.2022	29.08.2022

उनवान प्रकरण

1. जगदीश पुत्र खांगाराम जाति यादव आयु 61 वर्ष, निवासी ढाणी हनुमान सागर फूटाला –मुण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——वादी

बनाम

1. लादुराम पुत्र श्री खांगाराम आयु 65 वर्ष
2. प्रभात पुत्र खांगाराम आयु 75 वर्ष
3 कालुराम पुत्र स्व. रूपा राम पौत्र खांगाराम आयु 55 वर्ष
4 रामेश्वरी पत्नि स्व. महादेव पुत्रवधु खांगाराम आयु 70 वर्ष
5. बनवारी आयु 65 वर्ष
6. श्यामलाल आयु 55 साल
7. गिरधारी आयु 52 साल
8. सुरेश आयु 42 साल
पुत्रगण स्व0 महादेव पौत्रगण खांगाराम जाति यादव ढाणी हनुमान सागर फूटाला –मुण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
9. भूमि धारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:15 IST
Reason: SelfAttested

29/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपस्थित:–

श्री सुनील कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री कानाराम पूनियाँ, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8.

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से

वादपत्र बाबत इस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1608, 1623/2, 1635 कुल किता 3 कुल रक्बा 1.7300 हैक्टर तन् ग्राम फुटाला पटवार हल्का फुटाला भू– अभिलेख निरक्षक मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव प्रतिवादी संख्या 3 के पिता मृत्तक रूपाराम पुत्र खांगाराम एंव प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 के पिता–पिता मृत्तक महादेव पुत्र खांगाराम के नाम दर्ज है। प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार पक्षकारान आपस में एक ही परिवार से होकर खांगाराम के वारिसान है एंव उक्त वर्णित कृषि भूमि ग्राम फुटाला की अन्य कृषि भूमिया जिनकी खातेदारी मृत्तक खांगाराम के पुत्रगण वादी जगदीश एंव प्रतिवादी लादुराम, प्रभात एंव मृत्तक रूपाराम, महादेव पुत्रगण खांगाराम के नाम दर्ज चली आ रही थी। जिनका पारिवारिक सैटलमेन्ट काश्त की सुविधा के अनुसार पांचों भाईयों क्रमशः जगदीश, लादूराम, प्रभात, रूपाराम, महादेव ने कर लिया था जिसके अनुसार उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1608, 1623/2, 1635 कुल किता–3 कुल रक्बा 1.7300 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:15 IST
Reason: SelfAttested

29/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तन ग्राम फुटाला अकेले वादी के हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त में आई हुयी है। जिस पर वादी अकेला काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए उक्त भूमि की खातेदारी वादी अपने अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है तथा **यहां यह उल्लेखनीय है कि** प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव प्रतिवादी संख्या 3 के पिता रूपाराम एंव प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 के पति –पिता महादेव के हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त में ग्राम फुटाला की अन्य भूमियॉं आयी थी। जिसकी खातेदारी इनके नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर में प्रस्तुत दावा उनवानी रूपाराम बनाम् महादेव व अन्य मु.न. 286/1998 में बरूए राजीनामा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.98 पारित होकर दर्ज हो चुकी है एंव अन्य भूमियों की खातेदारी से वादी जगदीश का नाम हजफ फरमा दिया गया है परन्तु उक्त वर्णित कृषि भूमि जो अकेले वादी के हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त में आयी हुयी है। उसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मृत्तक रूपाराम व महादेव का नाम दर्ज चला आ रहा है। इसलिए उक्त कृषि भूमि की खातेदारी अकेले वादी के नाम दर्ज की जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव मृत्तक रूपाराम, महादेव पुत्रगण खांगाराम का नाम हजफ किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रतिवादीगण को वादी की भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किश्म का नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उपरोक्तनुसार भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 12.03.2022 को इन्कार हो गये एंव वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी है। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय एक ... पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:15 IST
Reason: SelfAttested

28/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इसलिए दावा पेश करने बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 8 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है तथा प्रतिवादी सं. 9 की सम्मन तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के पक्ष में जरिये राजीनामा के द्वारा वादपत्र में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1608, 1623/2, 1635 कुल किता 3 कुल रक्बा 1.7300 हैक्टर तन् ग्राम फुटाला पटवार हल्का फुटाला भू– अभिलेख निरीक्षक मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित होकर खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव प्रतिवादी संख्या 3 के पिता मृत्तक रूपाराम पुत्र खांगाराम एंव प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 के पिता–पिता मृत्तक महादेव पुत्र खांगाराम के नाम दर्ज होना प्रकट होता है। प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार पक्षकारान आपस में एक ही परिवार से होकर खांगाराम के वारिसान होना स्पष्ट [illegible] एक ही परिवार व खानदान से होना प्रकट होता है। प्रतिव[illegible] संख्या 3 के पिता रूपाराम एंव प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 [illegible] हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त में ग्राम फुटाला की अन्य भूमियॉ न्यायालय सहायक [illegible]क्टर श्रीमाधोपुर में प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:15 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दावा उनवानी रूपाराम बनाम् महादेव व अन्य मु.न. 286/1998 में बरूए राजीनामा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.98 के द्वारा दर्ज होना प्रकट होता है एंव अन्य भूमियों की खातेदारी से वादी जगदीश का नाम हजफ फरमा दिया जाना प्रतित होता है। उक्त वर्णित कृषि भूमि जो अकेले वादी के हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त में आना पाई जाती है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी पक्षकार के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1608, 1623/2, 1635 कुल किता 3 कुल रकबा 1.73 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 एंव प्रतिवादी संख्या 3 के पिता मृत्तक रूपाराम पुत्र खांगाराम एंव प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 के पति–पिता मृत्तक महादेव पुत्र खांगाराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाये जाने हेतु वादपत्र को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अत: उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् इस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1608, 1623/2, 1635 कुल किता 3 कुल रकबा 1.73 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमियों की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:15 IST
Reason: SelfAttested

28/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 एंव प्रतिवादी संख्या 3 के पिता मृत्तक रूपाराम पुत्र खांगाराम एंव प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 के पति–पिता मृत्तक महादेव पुत्र खांगाराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है तथा उक्त भूमि की अकेले वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

28/08/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:15 IST
Reason: SelfAttested

29/08/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)